(5)

E:\QC\Pesticide_Requirement_13.04.20.doc

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय : भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302015

क्रमांक : प्र.का. / क्यू.सी. / Pesticide / 2019–20 / 3967 दिनांक 16/4/2020

वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक /
भण्डार प्रबन्धक / प्रभारी
समस्त राज्य भण्डारगृह

....

विषय : केन्द्र पर संग्रहित खाद्यान्न एवं अन्य कृषि जिन्सो के भण्डारण के लिए आवश्यक पेस्टीसाईड की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी के संक्रमण के कारण "लॉक डाऊन" स्थिति में पेस्टीसाईड एवं अन्य आवश्यक सामग्री का परिवहन सामान्य नही है। इस स्थिति में भण्डारगृहों पर संग्रहित खाद्यान्न/कृषि जिन्सो की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए पेस्टीसाईड की आवश्यक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि केन्द्र मय किराये के गोदाम पर संग्रहित खाद्यान्न व कृषि जिन्सो के नियमानुसार Prophylactic & Curative उपचार के लिए आवश्यक पेस्टीसाईड का सटीक आंकलन कर भण्डारगृह पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि किसी केन्द्र पर आवश्यक पेस्टीसाईड्स उपलब्ध नही है तो सर्व-प्रथम समीप के केन्द्र से स्थानीय प्रशासन की अनुमति उपरान्त मंगवाना सुनिश्चित करें। समीप के केन्द्र पर पेस्टीसाईड की अनुपलब्धता की स्थिति में निगम प्रधान कार्यालय को बफर स्टॉक सहित वांछित मात्रा से E-mail द्वारा अवगत करावें, जिससे कि यथासम्भव माध्यम से पेस्टीसाईड्स भिजवाई जा सके।

-sd-

संयुक्त निदेशक (विकास)

प्रतिलिपि : प्रोग्राम, प्रधान कार्यालय, जयपुर को निगम वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

15/4/20

संयुक्त निदेशक (विकास)